[illegible] हेतु अनुमत, क्रमांक [illegible] छत्तीसगढ़ गजट 38 सि.सं. [illegible] दिनांक 30-5-2001.''

[illegible] जीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग [illegible] ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2002—भाद्र 29, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक 1533/2002/साप्रवि/1/2/2259.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, आय. ए. एस. (1969) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती इंदिरा मिश्रा, आय. ए. एस. (1969) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

3. श्री ए. के. विजयवर्गीय तथा श्रीमती इंदिरा मिश्रा द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम 9 के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. and subject to the modification that in all the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted and words "Bhopal" wherever they occur the word "Raipur" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	Bhopal Sthith Shaskiya Awas Abantan Niyam, 2000 (Excluding Annexure 1, 2, 3)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 4744/लो. नि./02/19.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 4 के साथ पठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, ऐसे 20 पुलों को, जो संलग्न परिशिष्ट-क में सूचीबद्ध है, मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23-4-2000-सी-19, दिनांक 27-1-2000 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन्हीं दरों से पथकर उद्गृहीत करती है और वह घोषित करती है कि छत्तीसगढ़ कार्य मैनुअल भाग-दो में परिशिष्ट 9.26 में विनिर्दिष्ट मानों को उक्त पथकर के भुगतान से छूट दी जाए.

त्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में निर्मित पुलों की सूची जिन पर टोल टैक्स लगाना प्रस्तावित है

पुल का नाम एवं लोकेशन (2)	लागत (लाख रुपये में) (3)
तेल नदी सेतु	
देवभोग कुम्हड़ई झाखरपारा मार्ग के कि.मी. 3/10	102.25
पैरी नदी सेतु	
राजिम गरियाबंद देवभोग मार्ग कि.मी. 87/2-6	525.00
कोल्हान नाला सेतु	
नवागांव-भानसोज मार्ग कि.मी. 10/10	32.00
सुरंगी नाला सेतु	
सराईपाली-पदमपुर मार्ग कि.मी. 10/4	100.00
तान्दुला नदी सेतु	
ग्राम भर्रीटोला के पास बोरिया डोडी मार्ग कि.मी. 34/8	42.00
खूंटी नाला सेतु	
6. बसना-भंवरपुर मार्ग कि.मी. 9/6	30.00
पथर्रा नाला सेतु	
7. नवापारा कुरूद मार्ग कि.मी. 5/2	44.00
बोरिया नाला सेतु	
8. बालेंगा-खोरखोसा मार्ग कि.मी. 4/2	40.27
अरपा सेतु	
9. रतनपुर बेलगहना मार्ग कि.मी. 29/2	219.25
सोन सेतु	
10. भैंसमा सक्ती मार्ग के कि.मी. 30/4	46.78

5б1

(1)	(2)	(3)
	माण्ड सेतु	
11.	धरमजयगढ़-गूमनी टिकरा मार्ग कि.मी. 6/2	126.60
	सोनाजोरी सेतु	
12.	तपकरा फरसाबहार मार्ग कि.मी. 8/4	93.00
	आमाटोली सेतु	
13.	बागबहार-कोतवा लैलूंगा मार्ग के कि.मी. 12/2	42.30
	तमता सेतु	
14.	फुलेटा तमता मार्ग के कि.मी. 10/4	69.10
	सोनक्यारी सेतु	
15.	जशपुर-सन्ना मार्ग के कि.मी. 37/10	45.00
	फुलझर सेतु	
16.	(अ) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 18/10	60.00
	महान सेतु	
	(ब) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 23/8-10	122.34
	बांकी सेतु	
	(स) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 40/10	107.07
	बांकी सेतु	
17.	प्रतापपुर-सेमरसोत मार्ग के कि.मी. 23/2	60.30
	मछली सेतु	
18.	दरिमा मेनपाट मार्ग के कि.मी. 7/2	35.00
	माण्ड सेतु	
19.	धरमजयगढ़ कापू मार्ग के कि.मी. 2/4-6	278.28

(2)	(3)
शिवनाथ सेतु	
बरतोरी-अमलीडीह मार्ग के कि.मी. 5/6	216.38

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 4744/लो.नि./02/19.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा ... पठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 25 सन् 1932) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ...ते हुए, राज्य सरकार, राज्य में पुलों पर उद्ग्रहित की जाने वाली पथकर की निम्नलिखित दरें अधिरोपित करती हैं—

क्रमांक (1)	वाहनों का विवरण (2)	दिनांक 31-3-2003 तक उद्ग्रहित किए जाने वाले पथकर की दरें (3)
	टेम्पो, टेक्सी, मिनी बस, मेटाडोर भरा या खाली, स्टेशन वेगन एवं इसी प्रकार के वाहन.	20.00
	निजी कार, जीप, पिकअप	12.00
	खाली ट्रक, भरा या खाली बस	30.00
	भरा हुआ ट्रक	45.00
	मल्टी एक्सल ट्रक, ट्रेलर	60.00
	अर्थ मुव्हिंग मशीन (प्रतिटन)	06.00

प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पथकर की दरों में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी जिसके लिए पृथक् आदेश जारी किया जा सकेगा.

ये दरें उन कार्यों को लागू नहीं होगी जिनका सन्निर्माण किया जा रहा है या सरकार की निर्मित तथा स्थानांतरित योजना के अधीन निर्माण किया गया जिसके लिए पूर्व से ही करार निष्पादित किए गए हैं.

किसी मान से पथकर की दरें दिन में केवल एक बार ही उद्ग्रहित की जाएगी जैसे 6.00 ए.एम. से 6.00 ए.एम. तक उक्त समस्त छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी.

परिशिष्ट 9.26

वाहनों की सूची जो शासन द्वारा पुल पार करने पर पथकर अदायगी से मुक्त की गयी है.

भाग I—कार्यपालन यंत्री से स्थायी पास प्राप्त किये बिना—

1. माननीय राज्यपाल एवं माननीय मंत्रीगण के वाहन व परिवहनादि.

2. माननीय विधान सभा अध्यक्ष एवं माननीय विधान सभा उपाध्यक्ष के वाहन व परिवहनादि.

3. सेना के अधिकारीगण के वाहन एवं परिवहनादि जो कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहे हों.

4. मोर्चों पर जाते सैनिकों के साथ वाहन व परिवहनादि.

5. वाहन जो सामरिक प्राधिकरण के आदेशों के अंतर्गत चल रहें हों.

6. कर्त्तव्यरत पुलिस अधिकारीगण के वाहन/ऐसे पुलिस अधिकारीगण या तो—

   (एक) वर्दी में होंगे, अथवा

   (दो) जिला पुलिस अधीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे कर्त्तव्य पर हैं, अथवा

   (तीन) यदि जिला पुलिस अधीक्षक से निम्न पद पर है तो पट्टेदार द्वारा रखे गये पुस्तक में अथवा पद, नाम व तथ्य अंकित करें कि वे कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहे हैं.

7. संभाग के कार्यपालन यंत्री का वाहन, जिसमें पुल अवस्थित है, जब वह कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहे हैं.

8. ग्राम कोटवारी के वाहन व परिवहनादि जो कर्त्तव्य पर हो एवं फौज़दारी मामले में साक्षीगण के वाहन जो पुलिस द्वारा चुनौती प्राप्त हुये हों.

9. काश्तकारों के वाहन एवं परिवहनादि जो कृषि में उपयोग में लिये जाते हों जिनके खेत या चरणोई भूमि पुल की दूसरी ओर उनके घरों से 3 कि.मी. के अन्दर पड़ते हों. राजस्व पुस्तिका प्रस्तुत करने पर (भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका).

10. वाहन जो डाक लाने के अनुज्ञप्तिधारी हो.

11. शासकीय क्षुद्र वाहन जैसे कार, जीप, ट्रेक्टर, रोगी वाहक जो कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहें हों.

12. छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा सदस्यों के वाहन एवं सांसदों के वाहन.

13. समस्त वाहन जो कम्पोस्ट खाद परिवहन कर रहें हों.

14. पहचान पत्र धारक अखबारों के संवाददाताओं, पत्रकारों के वाहन.

15. रोगी वाहक एवं अग्निशामकों के वाहनों को तुरन्त निकल जाने दिया जावेगा.

ट्रेक्टर ट्राली खाली या कृषि यंत्रों सहित.

भाग II—कार्यपालन यंत्री से स्थायी पास प्राप्त किये हुए—

शासकीय सेवकों एवं उनके परिचारकों के वाहन जो कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहें हों.

वाहन जो एकमात्र स्कूलगामी बच्चों द्वारा प्रयुक्त किया जाता हो जो स्कूल जाने या वहां से लौटने वास्ते काम में लिया जाता हो.

—वाहन का चालक जिसे पथकर चुकाने से मुक्त किया गया हो अपना नाम, पद एवं कर्त्तव्य की प्रकृति जिसमें वह लगा है को लिखित में दर्ज करेगा यदि वह साक्षर है.

Raipur, the 2nd September 2002

No. 4744/PWD/02/19.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 read with Section 4 of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh the State Government hereby levies Toll Tax on 20 bridges enlisted in Appendix A appended herewith. The same rates specified in the Schedule appended to the then Government of Madhya Pradesh, P. W. D. Notification No. G-23-4-2000-C-19 dated 27-1-2000 and declares that the vehicles specified is the appendix 9.26 of Madhya Pradesh work department Manual Volume II shall be exempted from the payment of the said tolls.

These orders shall come into force from the date of this Notification.

LIST OF THE BRIDGES CONSTRUCTED IN CHHATTISGARH STATE ON WHICH TOLL TAX IS PROPOSED

No. (1)	Name of bridge and road (2)	Cost in lakhs (3)	Remarks (4)
1.	TEL RIVER BRIDGE		
	In Km. 3/10 of Deobhog Kumhadai Jhakharpara Road	102.25	
2.	PARRY RIVER BRIDGE		
	In Km. 87/2-6 of Rajim Gariaband Deobhog Road	525.00	
3.	KOLHAN NALLA BRIDGE		
	In Km. 10/10 of Nawagaon Bhansod Road	32.00	
4.	SURANGI NALLAH BRIDGE		
	In Km. 10/4 of Saraipali Padampur Road	100.00	
5.	TANDULA RIVER BRIDGE		
	In Km. 34/8 near Village Bharritola of Boria Dhondi Road	42.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	KHSTI NALLA BRIDGE		
	In Km. 9/6 of Basna Bhawarpur Road	30.00	
7.	PATHARRA NALLA BRIDGE		
	In Km. 5/2 of Nawapara Kurud Road	44.00	
8.	BORIA NALLA BRIDGE		
	In Km. 4/2 of Balenga Khorkhosa Road	40.27	
9.	ARPA BRIDGE		
	In Km. 29/2 of Ratanpur Belgahna Road	219.25	
10.	SON BRIDGE		
	In Km. 30/4 of Bhaisma Sakti Road	46.78	
11.	MAND BRIDGE		
	In Km. 6/2 of Dharamjaygarh Amni Tikra Road	126.60	
12.	SONAJORI BRIDGE		
	In Km. 8/4 of Tapkara Pharsabahar Road	93.00	
13.	AMATOLI BRIDGE		
	In Km. 12/2 of Bagbahar Kotwa Lailunga Road	42.30	
14.	SAMTA BRIDGE		
	In Km. 10/4 of Phuleta Tamta Road	69.10	
15.	SONKAYARI BRIDGE		
	In Km. 37/10 of Jashpur Samta Road	45.00	
16.	PHULJHAR BRIDGE		
	A. In Km. 18/10 of Ambikapur Pratappur Road	60.00	
	B. MAHAN BRIDGE		
	In Km. 23/8-10 of Ambikapur Pratappur Road	122.34	
	C. BANKI BRIDGE		
	In Km. 40/10 of Ambikapur Pratappur Road	107.07	

(2)	(3)	(4)
BANKI BRIDGE		
In Km. 23/2 of Pratappur Semarsot Road	60.30	
MACHHALI BRIDGE		
In Km. 7/2 of Darima Menpat Road	35.00	
MAND BRIDGE		
In Km. 2/4-6 of Dharamjaygarh Kapu Road	278.28	
SEONATH BRIDGE		
In Km. 5/6 of Bartori Amlidih Road	216.38	

Raipur, the 2nd Se; ember 2002

No. 4744/PWD/02/19.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls Act (Chhattisgarh endment) Act, 1932 read with Section 4 in its application to the State of Chhattisgarh of the Tolls Act, 1851 (No. of 1851), the State Government hereby impose the following rates of tolls to be levied on bridges in the State.

No.	Description of Vehicles (2)	Rates of tolls to be levied upto 31-3-2003 (3)
	Tempo, Taxi, Mini Bus, Matador loaded or empty Station wagon or equivalent vehicle.	20.00
	Private Car, Jeep, Pickup	12.00
	Empty Truck, Loaded Bus and Empty Bus	30.00
	Loaded Truck	45.00
	Multi Axle Truck, Traller	60.00
	Earth Moving Mechinery (per tonne)	06.00

The rates of toll will be increased by 25% after every three years for which separate orders will be issued.

These rates shall not be applicable on those works which are being constructed or shall be constructed under ild Operate and Transfer Scheme of the Government, for which agreements have already been executed.

The toll rates will be levied only once in a day i.e. from 6.00 AM to 6.00 AM from any vehicle. The above all es shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. चौदहा, अवर सचिव.

APPENDIX 9.26

LIST OF VEHICLES EXEMPTED BY THE STATE GOVERNMENT FROM PAYMENT OF TOLL WHEN CROSSING AT TOLL BRIDGES

Part-I-Without a permanent pass from the Executive Engineer—

(1) Conveyances and Vehicles of Hon'ble Governor and Hon'ble Ministers.

(2) Conveyances and vehicles of the Hon'ble Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.

(3) Conveyances and vehicles of Military Officer travelling on duty.

(4) Conveyances and vehicles accompanying troops on the match.

(5) Vehicles moving under the orders of military authorities.

(6) Vehicles of Police Officers on duty : Such Police Officers shall either—

(i) be in uniform, or

(ii) produce a certificate signed by the District Superintendent of Police that they are on duty, or

(iii) if of a rank not low, than a District Superintendent of Police, enter in a book kept by the lessee, their names and the fact that they are travelling on duty.

(7) The conveyance of the Executive Engineer of the Division in which the bridge is situated while travelling on duty.

(8) The conveyances and vehicles of village kotwar on duty, and of witnesses in criminal cases challaned by Police.

(9) Conveyances and vehicles of cultivators used for agricultural purpose whose fields or pasture grounds lie within a distance of 3 km. from the opposite side of the bridge to their home on production of Revenue Book (Bhu Adhikar and Rin Pustica).

(10) Vehicles license to carry mails.

(11) Small vehicles (like car, jeep, tractor and ambulance) of the State Government travelling on duty.

(12) Vehicles of the Members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh and Members of Parliament.

(13) All vehicles transporting compost mannure.

(14) Vehicles of accredited press correspondents possessing identity card.

(15) Ambulance and vehicles of Fire Brigade would be allowed to pass through immediately.

(16) Tractor Trolly (empty or with agricultural machinery).

Part-II-With permanent pass from the Executive Engineer.

(17) Vehicles of Govt. servants and their attendants travelling on duty.

(18) Vehicles exclusively used for school-going children, when going to schools or return therefrom with their vehicles.

Note :—The driver of the vehicle exempted from payment of tolls, shall state his name, rank and the nature of duty on which he is engaged and shall, if literate, do so in writing.